भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 469**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**पौष्टिक आहार के लिए प्रति लाभार्थी लागत**

**469. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंगनवाड़ियों में पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए छह माह से छह वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मौजूदा प्रति लाभार्थी लागत को 8 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमेशा बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रति लाभार्थी 8 रुपये की मौजूदा दर पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने उपभोक्‍ता खाद्य मूल्‍य सूचकांक को ध्‍यान में रखते हुए अक्‍टूबर, 2017 में स्‍कीम के अंतर्गत पूरकपोषण के लिए लागत मानकों में संशोधन किया है। वार्षिक लागत सूचकांक का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.**  | **श्रेणी**  | **पूरानी दरें** **(रुपये प्रति लाभार्थी प्रति दिन)**  | **संशोधित दरें** **(रुपये प्रति लाभार्थी प्रति दिन)** |
| 1 | बच्‍चे (6-72 माह)  | 6.00 | 8.00 |
| 2 | गर्भवती महिलाएं और शिशुओं को स्‍तनपान कराने वाली माताएं  | 7.00 | 9.50 |
| 3 | अत्‍यधिक कुपोषित बच्‍चे (6-72 माह) | 9.00 | 12.00 |

\*\*\*\*\*